

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

फैक्स/ई-मेल

आदेश

संख्या-3/टी0-01-07/2017- /स्वा0, डा0 आनन्द किशोर, प्रभारी निदेशक, मॉडल ब्लड बैंक, जयप्रभा अस्पताल, कंकड़बाग, पटना को बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 84 के तहत निदेशक, मॉडल ब्लड बैंक, जयप्रभा अस्पताल, कंकड़बाग, पटना के पद का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित किया जाता है ।

2. निदेशक, मॉडल ब्लड बैंक, जयप्रभा अस्पताल, कंकड़बाग, पटना के नियमित पदस्थापन होने के बाद यह व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी ।

3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा ।

4. प्रस्ताव में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है ।

ह0/-

(जगदीश कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक-3/टी0-01-07/2017- 283 (3) /स्वा0, पटना, दिनांक 09/5/2018

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/अवर सचिव, सचिवालय मुद्रणालय (प्रशाखा) वित्त विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना/सचिव-सह-कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त पटना प्रमंडल पटना/जिलाधिकारी, पटना/क्षेत्रीय अपर निदेशक, पटना प्रमंडल पटना/सिविल सर्जन, पटना/डा0 आनन्द किशोर, प्रभारी निदेशक, मॉडल ब्लड बैंक, जयप्रभा अस्पताल, कंकड़बाग, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक/विभागीय प्रशाखा पदाधिकारी, 2,3,7,8,9,10 एवं 12/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

विशेष कार्य पदाधिकारी
संलग्न